न्यायालय उपजिलाधिकारी करछना, इलाहाबाद।

वाद संख्या T201602030557714 अन्तर्गत धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता

मौजा–मदनुआ उपरहार ,परगना अरैल, तहसील करछना जिला इलाहाबाद।

आशुतोष त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

नकल निर्णय दिनांक – 14–10–16

प्रस्तुत वाद श्री आशुतोष त्रिपाठी पुत्र राकेश कुमार त्रिपाठी निवासी 1एन/5बी तिलक नगर, अल्लापुर जिला इलाहाबाद बहैसियत सचिव सुनहरा भविष्य विकास समिति द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80 के अन्तर्गत इस आशय का योजित किया गया है कि मौजा– मदनुआ उपरहार, परगना– अरैल तहसील– करछना जिला– इलाहाबाद स्थित खतौनी खाता संख्या 33 आराजी संख्या 150 रकबा 0.4910 हे0 आराजी संख्या 151 रकबा 0.5820 हे0 व आराजी संख्या 158 रकबा 0.6960 हे0 व खाता संख्या 135 गाटा संख्या 31 रकबा 0.5590 हे0 खाता संख्या 138 गाटा संख्या 16 रकबा 0.5590 हे0. के जुज रकबा 0. 5350 हे0 का आवेदक संकमणीय भूमिधर काबिल दखील है। आवेदक द्वारा अपनी भूमि का आवासीय उपयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि चारों ओर से 6 फीट बाउन्ड्रीवाल से घिरी है तथा शैक्षणिक संस्था हेतु भवन निर्माणाधीन है। उक्त आराजी पर कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जाता है। अतः वादग्रस्त आराजी निजाई के जुज रकबा 0.5350 हे0 को अकृषिक घोषित करने की कृपा की जाए।

पत्रावली जांच हेतु तहसीलदार करछना को प्रेषित की गयी। हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार करछना की जांच रिपोर्ट सहित पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर वाद पंजीकृत होकर पत्रावली प्रस्तुत हुई। हल्का लेखपाल द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 26.09.2016 में उल्लिखित किया गया है कि उद्धरण खतौनी वर्ष 1420–1425फ0 ग्राम मदनुआ उपरहार के खाता संख्या 33 आराजी संख्या 150 रकबा 0.4910 हे0 आराजी संख्या 151 रकबा 0.5820 हे0 व आराजी संख्या 158 रकबा 0.6960 हे0 व खाता संख्या 135 गाटा संख्या 31 रकबा 0.5590 हे0 खाता संख्या 138 गाटा संख्या 16 रकबा 0.5590 हे0. के जुज रकबा 0.5350 हे0 पर आवेदक का नाम बैनामा के आधार पर बतौर सह संकमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। संलग्न बैनामा दिनांक 05.03.2011 व बैनामा दिनांक 05.08.2016 के आधार पर आवेदक द्वारा आराजी संख्या 150, 151, 158, 16 व 31 में 0.5350 हे0 भूमि का बैनामा कराया गया है। स्थल पर आवेदक द्वारा आराजी संख्या 150, 151, 158, 16 व 31 में 0.5350 हे0 पर चारों ओर बाउन्ड्रीवाल निर्मित है व समिति द्वारा शैक्षणिक संस्था संचालन हेतु भवन निर्माणाधीन है उपरोक्त भूमि आवासीय उपयोग में लाई जा रही है। आवेदक की भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। उक्त की दशा में ग्राम मदनुआ उपरहार की आराजी संख्या 150 रकबा 0.4910 हे0 आरांजी संख्या 151 रकबा 0.5820 हे0 व आराजी संख्या 158 रकबा 0.6960 हे0 व खाता संख्या 135 गाटा संख्या 31 रकबा 0.5590 हे0 खाता संख्या 138 गाटा संख्या 16 रकबा 0.5590 हे0. के जुज रकबा 0.5350 हे0 को अकृषक एवं लगानमुक्त घोषित करने हेतु आख्या संप्रेषित है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी जांच आख्या दिनांक 26.09.2016 के अन्तर्गत हल्का लेखपाल की उक्त जांच आख्या को संप्रेषित किया गया है। तहसीलदार करछना द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 27.09.2016 के अंतर्गत हल्का लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की उक्त जांच रिपोर्ट को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध उद्धरण खतौनी वर्ष 1420–1425फ0 के खाता संख्या 33 आराजी संख्या 150 रकबा 0.4910 हे0 आराजी

Scanned with CamScanner

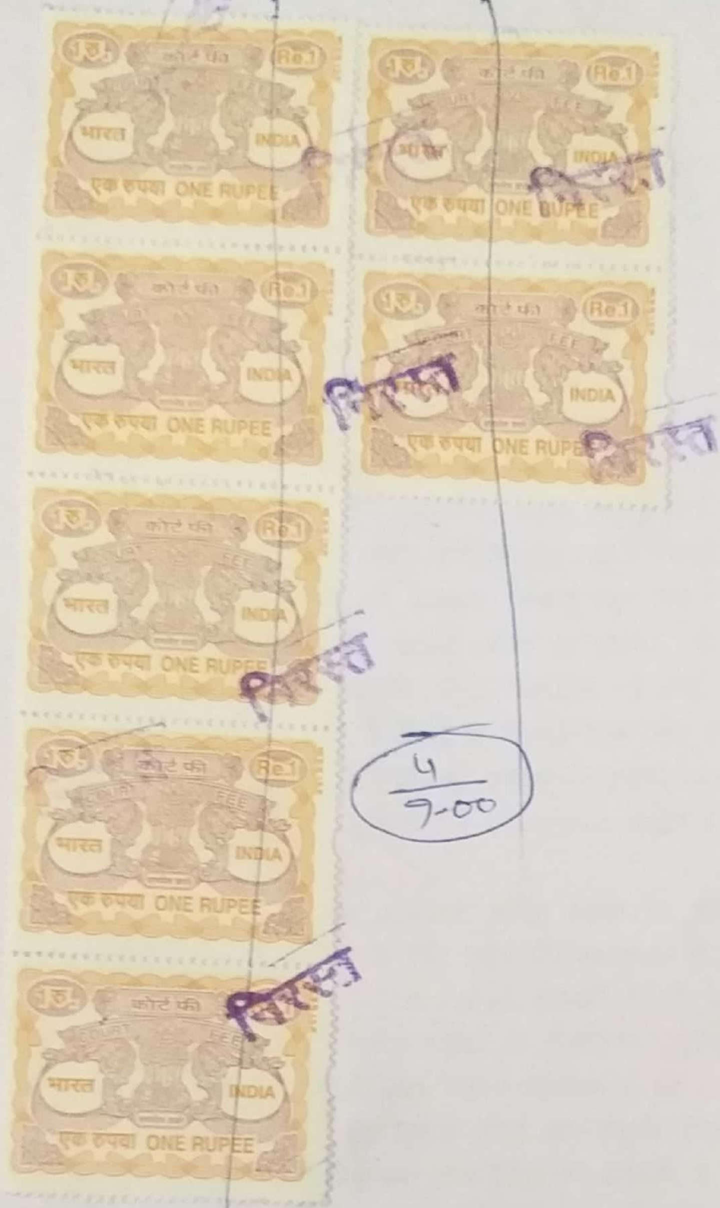

$\frac{4}{7\text{-}00}$

Scanned with CamScanner

संख्या 151 रकबा 0.5820 हे0 व आराजी संख्या 158 रकबा 0.6960 हे0 व खाता संख्या 135 गाटा संख्या 31 रकबा 0.5590 हे0 खाता संख्या 138 गाटा संख्या 16 रकबा 0.5590 हे0. के जुज रकबा 0.5350 हे0 पर आवेदक आशुतोष त्रिपाठी बहैसियत सचिव सुनहरा भविष्य विकास समिति का नाम बतौर सह संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार करछना द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि वादग्रस्त आराजी के जुज रकबा 0.5350 हे0 पर कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि आवासीय उपयोग किया जा है। जांच रिपोर्ट में वादग्रस्त भूखण्ड को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मेरी राय में मौजा मदनुआ उपरहार, परगना अरैल, तहसील करछना, जिला इलाहाबाद स्थित खाता संख्या 33 आराजी संख्या 150 रकबा 0.4910 हे0 आराजी संख्या 151 रकबा 0.5820 हे0 व आराजी संख्या 158 रकबा 0.6960 हे0 व खाता संख्या 135 गाटा संख्या 31 रकबा 0.5590 हे0 खाता संख्या 138 गाटा संख्या 16 रकबा 0.5590 हे0. के जुज रकबा 0.5350 हे0 को अकृषिक घोषित करते हुये लगानमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार करछना की आख्या के आधार पर ग्राम-- मदनुआ उपरहार, परगना अरैल, तहसील करछना, इलाहाबाद की खतौनी वर्ष 1420–1425 फ0 के खाता संख्या 33 आराजी संख्या 150 रकबा 0.4910 हे0 आराजी संख्या 151 रकबा 0.5820 हे0 व आराजी संख्या 158 रकबा 0.6960 हे0 व खाता संख्या 135 गाटा संख्या 31 रकबा 0.5590 हे0 खाता संख्या 138 गाटा संख्या 16 रकबा 0.5590 हे0. के जुज रकबा 0.5350 हे0 को लगानमुक्त करते हुये अकृषिक घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियाँ यथावत बनी रहेंगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक करछना को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

(सुरेश कुमार मिश्र)
उपजिलाधिकारी–करछना,
इलाहाबाद।

दिनांकः 14-10-16

17/10/16

श्री ... मिश्रा एडो०

4/7-00

लगभग 250 शब्द ...

17/10/16

14-10-16
17-10-16
17-10-16

17/10/16

H-1328

Scanned with CamScanner